राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1681/2024

कचरू सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भवानीमण्डी झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री घनश्याम दास, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 27.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निलम्बन से पूर्व अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत थे। निलम्बन आदेश के साथ–साथ उसका मुख्यालय परिवर्तन कर झालावाड़ जिले से बाहर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जालोर कर दिया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह अपील को अपीलार्थी के मुख्यालय परिवर्तन की हद तक सिमित रखना चाहते हैं।
3. अपीलार्थी अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत था। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि उसने विद्यालय का वातावरण दुषित करने एवं गुटबाजी करने के दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित कर उसका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक जालोर किया गया है। हम यह पाते हैं कि

अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों के दृष्टिगत अपीलार्थी का मुख्यालय एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का मुख्यालय झालावाड़ जिले में ही किसी स्थान पर किये जाने के आदेश पारित करें।
5. इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)